मूल वाद में डिक्री– अन्तिम

(आदेश–20 के नियम–6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
केम्प कोर्ट गागेडा

बइजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

वाद संख्या– 02/2018

1. मुकुटबिहारी पिता कन्हैयालाल बिहारी सोनी निवासी जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर ।

–वादी

बनाम

1. मुकेश कुमार पिता कुन्जबिहारी सोनी, कृष्णमुरारी, पिता कन्हैयालाल बिहारी सोनी, श्यामबिहारी दत्तक पुत्र सुवा लाल सोनी, मनोजकुमार पिता पृथ्वीराज सोनी, नारायणी पत्नि मनोजकुमार सोनी, निवासी जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर , राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा ।

–प्रतिवादीगण

प्रेषिति:–

वादपत्र अन्तर्गत धारा– **53, 188 राजस्थान** टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से श्री ललित कुमार धनोपिया **प्रतिवादी की ओर से** XXX की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख **25.05.2018** को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर मौजा शिवनगर पटवार हल्का गागेडा तहसील हुरड़ा की पुश्त पर अंकित आराजी व लगान के विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किया जावें । तथा प्रविादीगण संख्या–1 व 2 एवं 4 से 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के हक हिस्से की आराजीयात में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें , ना करावें । तथा वादी को उसके 2/3 हक हिस्से का पानी निकालनें हेतु रोक टोक नही करें ।

और इसके वाद के खर्चे लेखे XXX रू. की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर XXX प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित XXX द्वारा XXX को दी जायें।

यह आज तारीख 25.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलेक्टर
न्यायाधीश
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

वादे के खर्चे

वदी	रूपये	पैसे	वादी	रूपये	पैसे
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	01	00
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	01	00	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	00	00
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	01	00	3. प्लीडर की फीस	00	00
4. रूपये पर लीडर की फीस	00		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00
5.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00		5. आदेशिका की तामील	00	00
6.कमिश्नर की फीस–तलवाना	00	00	6. कमिश्नर की फीस		00
7. आदेशिका की तामील	00				
	03				
	00				

Web Copy - Not Official

प्रकरण सं. 02/2018

मुकुन्दबिहारी बनाम मुकेश कुमार

ग्राम- शिवनगर, तह. हुरड़ा (भीलवाड़ा)

(प्रस्तावित आबादी हेतु)

मुकुन्दबिहारी

मुकेश माली

इस मौके से मेल

पटवारी

भू-अभिलेख निरीक्षक
वृत्त-गागेड़ा
तह. हुरड़ा (भीलवाड़ा)

अनुमोदन

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official